बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 14.11.2022 को अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आहुत की गयी। आहुत बैठक में जल जीवन मिशन की बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारी/कर्मचारियों की सूची संलग्न है। बैठक में निम्न बिंदुओं पर समीक्षा की गयीं।

<u>1– जल जीवन मिशन (फेज–2)</u> जनपद औरैया में जेजेएम फेज–2 के कार्यों को कराये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से अनुबंधित एजेंसी मै0 द इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी (लि हाउस नं0 6–3–323, रामनगर, अनन्तपुरम, आ.प्रदेश के एजीएम श्री रामा राव द्वारा बताया गया, एफएचटीसी की प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष बहुत कम है। जिसको लक्ष्य के अनुरूप सम्बन्धित स्टाफ बढ़ाक लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रत्येक दिन न्यूनतम 300 नग एफएचटीसी किये जायेंगे एवं 97 नग तैयार प्राक्कलन में से बचे हुये 03 प्राक्कलन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के नियमानुसार "Per Capita Cost" से अधिक है, जिसे जल्द ही ठीक कराकर SLSSC से स्वीकृत करा ली जायेंगी। साथ ही अवगत कराया है, कि कियाशील 57 नग योजनाओं में 04 नग योजनाओं (मढ़ोकमीत, औरों, जौहर, गढ़वाना पाइप पेयजल योजना) के नलकूप बोरिंग फेल हो जाने के कारण सम्बन्धित ग्राम ग्रामों में नई भूमि चाही गयी है एवं विकास खण्ड बिधूना मढ़ामाछीझील पाइप पेयजल योजना पर ग्राम प्रधान द्वारा भूमि विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को धारा–95 के अन्तर्गत ग्राम प्रधान के खिलाफ नोटिस जारी कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। तथा फर्म के प्रतिनिधि एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया गया, कि फर्म से कार्य योजना प्राप्त कर पेयजल योजना पर कार्य करायें। जिससे माह दिसम्बर तक उपलब्ध कराये गये लक्ष्य 20783 नग FHTC को पूर्ण किया जा सके।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम, मै0 द इण्डियन ह्यूम पाइप क0लि0)

<u>2– जल जीवन मिशन (फेज–3)</u> जनपद औरैया में जेजेएम फेज–3 में डीपीआर विरचन एवं स्वीकृत उपरान्त निर्माण तथा 10 वर्षों तक अनुरक्षण कार्य हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से अनुबंधित संस्था मै0 जी.वी.पी.आर0 इंजीनियर्स लि0 को अवशेष 575 ग्रामों हेतु नामित किया गया है। नामित संस्था द्वारा अद्यतन तक 575 ग्रामों के सापेक्ष 68 नग प्राक्कलनों को SLSSC से स्वीकृत कराते हुये 68 नग पाइप पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर 266.28 कि0मी0 पाइप लाइन एवं 3489 नग एफएचटीसी एवं 50 नलकूप बोरिंग का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। साथ ही संस्था द्वारा 47 नग प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये। जीवीपीआर इंजीनियर्स लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री गगन आर्या द्वारा बताया गया, कि प्रत्येक दिन न्यूनतम 300 नग FHTC किये जायेंगे। जेजेएम फेज–3 अनुबंधित संस्था मै0 जी.वी.पी.आर0 इंजीनियर्स लि0 की प्रगति

Scanned with OKEN Scanner

संतोषजनक है। निर्देश दिये गये हैं, कि शेष ग्रामों की डीपीआर तैयार कर आवश्यक कार्यवाही कराते हुये राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को शीघ्र ही भिजवायें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम, मै0 जी.वी.पी.आर0 इंजीनियर्स लि0)

3– आई0एस0ए0

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया, कि जनपद–औरैया में आई0एस0ए0 कार्य हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र सं0– 2405/W-314/JJM-ISA/2020-21, दिनांक– 25, जनवरी 2021 द्वारा "**A**" कैटेगरी की कुल 02 आई0एस0ए0 संस्थाओं (KRASHI EVAM SHAIKSHIK PRABANDH SANSTHAN & OXFORD SHIKSHA PRASAR SANSTHAN) को नामित किया गया है। उक्त के अनुपालन में तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन उपरान्त खण्ड कार्यालय के पत्र संख्या 2650/डब्ल्यू–27/112, दिनांक–08/04/2021 द्वारा विकास खण्ड– औरैया, अजीतमल एवं भाग्यनगर में ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान को कलस्टर संख्या 01, 02, 03, 04 एवं विकास खण्ड– बिधुना, सहार, अछल्दा व ऐरवाकटरा में कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान को कलस्टर संख्या 05, 06, 07 कलस्टर का आवंटन करते हुए कार्यालय के पत्रों के माध्यम से कार्य प्रारम्भ की तिथि 15/07/2021 एवं कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक 14.07.2022 निर्धारित थी।

संस्थाओं को विकास खण्डवार क्लस्टर आवंटन

क्र0 सं0	संस्था का नाम	क्लस्टर सं0	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतो की सं0	राजस्व ग्राम की सं0
1	ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान	01	औरैया	40	62
		02	औरैया	30	53
		03	अजीतमल	43	70
		04	भाग्यनगर	51	98
2	कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान	05	बिधूना	42	66
		06	अछल्दा/ऐंरवाकटरा	35/09	61/11
		07	सहार	31	49
	कुल			281	470

जनपद– औरैया में आई0एस0ए0 कार्य हेतु संस्थाओ द्वारा कुल **03 चरण** में गतिविधियां पूर्ण की जानी हैं। प्रथम चरण– **"नियोजन एवं लोगों को संगठित करना"** (03 माह) व द्वितीय चरण **"क्रियान्वयन चरण"** (06 माह) तथा तृतीय चरण क्रियान्वयन चरण के बाद (03 माह) की गतिविधियॉ पूर्ण की जानीं हैं। परन्तु निर्माण कार्यो हेतु अनुबन्धित संस्थाओं द्वारा कार्य विलम्ब से प्रारम्भ किये जाने पर आईएसए संस्थाओं द्वारा प्रथम चरण का कार्य ही पूर्ण किया जा सका।

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान में कियान्वयन चरण का कार्य प्रगति पर है। जिस हेतु आईएसए संस्थाओं का अनुबन्ध विस्तार दिनांक 14.07.2023 तक किया गया है।

आईएसए संस्थाओं द्वारा प्रथम चरण से पूर्ण की गयी गतिविधियों का विवरण निम्नवत् है

प्रथम चरण– नियोजन एवं लोगों को संगठित करना (03 माह)

क्र0 सं0	महत्वपूर्ण बिन्दु	क्रियाकलाप	समयसीमा	कार्य की स्थिति	
				ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान	कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान
1	ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन एवं बैंक में खाता खोलना	1. ग्राम सभा की बैठक का आयोजन 2. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन एवं क्रियाशीलता, प्रशिक्षण प्रदान करना। 3. बैंक खाता खुलवाना	प्रथम 01 माह	पूर्ण	पूर्ण
2	बेस लाइन डाटा सत्यापन करना व सत्यापित आख्या का ग्राम प्रधान द्वारा सत्यापन करवा कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रेषित करना।	1. बेस लाइन डाटा का सत्यापन करना। 2- उपलब्ध FHTC का सर्वेक्षण करना। 3- WSP (वाटर सिक्योरिटी प्लान) के लिये सर्वे कर डाटा एकत्रित करना।	प्रथम 01 माह	पूर्ण	पूर्ण
3	PWS निर्माण एवं संचालन एवं देखरेख हेतु सहमति लेना।	1- विभिन्न संस्थानो के लोगो VWSC सदस्यों व परिवारो के मुखिया के साथ बड़ी बैठक का आयोजन कर कम से कम 80% ग्रामीणों की उपस्थिति सुनिश्चित कराना। 2- PWS, CAPEX में सामुदायिक अंशदान, मासिक उपभोग चार्ज भुगतान संचालन एवं देखरेख हेतु सहमति पत्र प्राप्त करना।	प्रथम 01 माह	पूर्ण	पूर्ण
4	समुदायिक अंशदान	1. सभी परिवारों से व्यक्तिगत मिलकर योजना की जानकारी देना। 2. मासिक महिला बैठक 3. मासिक महिला पुरूष संयुक्त बैठक 4. प्रभात फेरी व हैण्डवॉश गतिविधि (विद्यालय एवं राजस्व ग्राम स्तर पर) 5- कुल एकत्रीकरण का कम से कम 30% सामुदायिक अंशदान	प्रथम 03 माह	पूर्ण अपूर्ण	पूर्ण अपूर्ण
5	ग्राम कार्ययोजना का अंतिम रूप देना एवं अनुमोदन कराना	1. सहभागी ग्रामीण मूल्याकंन से सामाजिक आर्थिक मूल्याकंन 2. जल स्त्रोतो की गुणवत्ता स्तर जानना व जल नमूना एकत्र कर जॉच परिणाम प्राप्त करना। 3. जल प्रबन्धन योजना बनाने हेतु समुदाय को सहयोग करना। 4- समुदाय के सहयोग से VAP निर्माण एवं 80 प्रतिशत समुदाय की सहमति से अनुमोदन कराना।	प्रथम 02 माह	पूर्ण	पूर्ण

Scanned with OKEN Scanner

6	PWS के लिये कुशल मानव शक्ति की व्यवस्था कराना।	1- कुशल मानव शक्ति का चिन्हांकन कर सूचीबद्ध करते हुये प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित करवाना व DWSM को प्रेषित करना।	प्रथम 01 माह	पूर्ण	पूर्ण
7	अनुबन्ध को हस्ताक्षरित कराना	1- GPWSC व ठेकेदार के बीच Triprarty Agreement हस्ताक्षरित कराना।	प्रथम 02 माह	पूर्ण	पूर्ण

आईएसएस संस्था ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान द्वारा आवंटित कलस्टर 01, 02, 03 एवं 04 में कलस्टर संख्या 03 व 04 तथा आईएसए संस्था कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान द्वारा आंवटित कलस्टर 05, 06 व 07 की प्रथम चरण की समस्त गतिविधियों को पूर्ण कर देयक पोर्टल पर अपलोड तथा हार्ड कॉपी खण्ड कार्यालय को उपलब्ध करा दी गयी है। जिसका परीक्षण डीपीएमयू द्वारा करके देयक खण्ड कार्यालय को उपलब्ध करा दिये गये हैं।

क्र. सं.	आईएसए संस्था का नाम	कलस्टर संख्या	आवंटित ग्राम पंचायत	कलस्टर की कुल राशि	भुगतान की राशि
1	ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान	3	43	5912500.00	1832875.00
2	ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान	4	51	7012500.00	2173875.00
	योग			**12925000.00**	**4006750.00**
3	कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान	5	42	5775000.00	1790250.00
4	कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान	6	44	6050000.00	1875500.00
5	कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान	7	31	4262500.00	1321375.00
	योग			**16087500.00**	**4987125.00**

उक्त देयकों का सत्यापन जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से होने के उपरान्त जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही की जानी है। सम्पन्न जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में समस्त सदस्यों द्वारा परीक्षण कर ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान के रू0 4006750.00 एवं कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान के रू0 4987125.00 के भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश दिया, कि 10 प्रतिशत ग्राम पंचायत का सत्यापन खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से करा लिया जाये, तत्पश्चात् भुगतान किया जाये।

शेष ग्राम पंचायतों में क्लस्टर आवंटन हेतु

क्र0 सं0	संस्था का नाम	क्लस्टर सं0	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतो की सं0	राजस्व ग्राम की सं0
1	ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान	11	अजीतमल / भाग्यनगर	25 / 22	35 / 31
		12	औरेया	25	32
2	कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान	08	ऐंरवाकटरा	37	75
		09	सहार	34	45
		10	अछल्दा / बिधूना	26 / 27	45 / 38
	कुल			196	301

अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया, कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्र संख्या 2760/W-314 (TC Vol-6)/2022-23 Dated 10-10-2022 द्वारा जनपदों में कार्यरत संतोषजनक कार्य करने वाली संस्थाओं को यथाशीघ्र जनपद के अवशेष समस्त ग्राम पंचायतों का आवंटन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जनपद के शेष 196 नग ग्राम पंचायतों में आई.एस.ए. गतिविधियों हेतु सूचीबद्ध संस्था कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्धन संस्थान, लखनऊ को 03 कलस्टर (124 नग ग्राम पंचायत) एवं

Scanned with OKEN Scanner

ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान, कन्नौज को 02 कलस्टर (72 नग ग्राम पंचायत) आवंटन हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम, मै0 ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान, मै0 कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्धन संस्थान)

4– मै0 भावसर फाउण्डेशन नई दिल्ली अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया, कि तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा भावसर फाउण्डेशन को नामित किया गया। उक्त के सम्बन्ध में मै0 भावसर फाउण्डेशन के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया, कि तकनीकी कार्मिकों का चयन आईएसए संस्थाओं, डीपीएमयू के माध्यम से ग्राम सभा की खुली बैठक कराते हुये पारदर्शितापूर्वक किया जाये तथा चयनित कार्मिकों की तकनीकी प्रशिक्षण शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें एवं जल निगम (ग्रामीण) द्वारा प्रदान की जाने वाली ट्रेनिंग किटों का वितरण समयान्तर्गत किया जाये। तथा खण्ड विकास अधिकारी से समय प्राप्त कर प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध करायें, जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी करायी जा सके।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम, मै0 भावसर फाउण्डेशन नई दिल्ली)

14.11.22

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
औरैया

16/11

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
औरैया

पत्रांक 1151/ W-35 / 7 दिनांकः 16-11-22

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, औरैया (सदस्य)
2. जिला विकास अधिकारी, औरैया (सदस्य)
3. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, औरैया (सदस्य)
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, औरैया, औरैया (सदस्य)
6. जिला कृषि अधिकारी, औरैया (सदस्य)
7. क्षेत्रीय वनाधिकारी औरैया स्वयं या उनके द्वारा नामित (सदस्य)
8. अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई, इटावा (सदस्य)
9. अधिशासी अभियन्ता जल निगम, औरैया (सदस्य सचिव)
10. द इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी (लि0) हाउस नं0 6–3–323, रामनगर, अनन्तपुरम, आ.प्रदेश।
11. मै0 जी.वी.पी.आर. इंजीनियर्स लि0, हैदराबाद–500033 तेलंगाना।
12. जिला समन्वयक, मेधज टैक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, औरैया।
13. जिला परियोजना प्रबन्धक, बी.एल.जी. कं0 सर्विसेज प्रा0लि0, औरैया।
14. मै0 भावसर फाउण्डेशन, मयूर विहार, नई दिल्ली।
15. मै0 ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान, मुहल्ला तिवारियान, छिबरामऊ, जनपद कन्नौज।
16. मै0 कृषि एवं शैक्षिक प्रबंधन संस्थान एल–3, एच.आई.जी. कुर्सी रोड, अलीगंज, लखनऊ।

14.11.22

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव

Scanned with OKEN Scanner